भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ. यह दिन 26 नवम्बर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है| जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बडा लिखित संविधान है. जिसमे 477 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी|

भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 3 : राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन

भाग 2 नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

अनुच्छेद 5 : संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार
अनुच्छेद 7 : पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार
अनुच्छेद 8 : भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
अनुच्छेद 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
अनुच्छेद 11 : संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

भाग 3 मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

अनुच्छेद 12 : परिभाषा
अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलबंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर विभेद का प्रतिशेध
अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन में अवसर की समानता
अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18 : उपाधीयों का अंत
अनुच्छेद 19 : वाक् की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21 क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से सरंक्षण
अनुच्छेद 23 : मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिशेध
अनुच्छेद 24 : कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशेध
अनुच्छेद 25 : अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने , आचरण और _प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36-51)

अनुच्छेद 39क: समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद **40** : ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 43क: उद्योगों के प्रबंध मे कर्मकार का भाग लेना
अनुच्छेद **45 :** बालको के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
अनुच्छेद **47 :** पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

भाग 4-क मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51-क)

अनुच्छेद 51 A: मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

A EXAM GURU
RM FOR ALL EXAMS

- (क) संविधान का पालन करे और उस के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करे ;
- (ख) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उन का पालन करे;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उस का परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिस के अन्तर्गत वन, झील नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उस का संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिस से राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

भाग 5 संघ (अनुच्छेद 52-151)

अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 110 :- धन विधायक की परिभाषा
अनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक

A EXAM GURU
PLATFORM FOR ALL EXAMS

अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया

भाग 6 राज्य (अनुच्छेद 152-237)

अनुच्छेद 153 : राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156 : राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157 : राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
अनुच्छेद 158 : राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159 : राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 161 : क्षमा आदि की और कुछ मामलो मे दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद 163 : राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
अनुच्छेद 165 : राज्य का महाधिवक्ता
अनुच्छेद 166 : राज्य की सरकार केई कार्य का संचालन
अनुच्छेद 167 : राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद 168 : राज्य के विधान मंडल का गठन
अनुच्छेद 169 : राज्यों मे विधान परिषद का उत्सादन या सृजन
अनुच्छेद 170 : विधानसभाओं की संरचना
अनुच्छेद 171 : विधान परिषद की संरचना
अनुच्छेद 172 : राज्यों के विधानमंडल कि अवधि
अनुच्छेद 176 : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 177 :सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
अनुच्छेद 178 : विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 179 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 180 : अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
अनुच्छेद 181 : अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
अनुच्छेद 182 : विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 184 : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
अनुच्छेद 188 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 189 : सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद 199 : धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 202 : वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 204: विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 213 : विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद 214 : राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 215 : उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 216 : उच्च न्यायालय का गठन
अनुच्छेद 217 : उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
अनुच्छेद 221 : न्यायाधीशों का वेतन
अनुच्छेद 223 : कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
अनुच्छेद 224 : अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 226 : कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 231 : दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

भाग 9 पंचायत (अनुच्छेद 243-243-O)

अनुच्छेद 243 : परिभाषाए

अनुच्छेद 243क: ग्राम सभा

अनुच्छेद 243ख पंचायतों का गठन

अनुच्छेद 243ग पंचायतों की संरचना

अनुच्छेद 243घ स्थानों का आरक्षण

A EXAM GURU
PLATFORM FOR ALL EXAMS

अनुच्छेद 243ङ पंचायतों की अवधि, आदि

अनुच्छेद 243च सदस्यता के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद 243छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 243ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां

अनुच्छेद 243-झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन

अनुच्छेद 243ञ पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा

अनुच्छेद 243ट पंचायतों के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद 243ठ संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना

अनुच्छेद 243ड इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नह होना

अनुच्छेद 243ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

अनुच्छेद 243-ण निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग 9A नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P-243-ZG)

अनुच्छेद 243त परिभाषाएं

अनुच्छेद 243थ नगरपालिकाओं का गठन

अनुच्छेद 243द नगरपालिकाओं की संरचना

अनुच्छेद 243ध वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना

अनुच्छेद 243न स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 243प नगरपालिकाओं की अवधि, आदि

अनुच्छेद 243फ सदस्यता के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद 243ब नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 243भ नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां

अनुच्छेद 243म वित्त आयोग

अनुच्छेद 243य नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा

अनुच्छेद 243यक नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद 243यख संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना

अनुच्छेद 243यग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना

अनुच्छेद 243यघ जिला योजना के लिए समिति

अनुच्छेद 243यङ महानगर योजना के लिए समिति

अनुच्छेद 243यच विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना

अनुच्छेद 243यछ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244-244-A)

अनुच्छेद 244 : अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

EXAM GURU ALL EXAMS

भाग 11 संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (अनुच्छेद 245-263)

अनुच्छेद 249: राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति.
अनुच्छेद 250: यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि.
अनुच्छेद 251: संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति.
अनुच्छेद 252: दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 254: संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
अनुच्छेद 257: कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 262: अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
अनुच्छेद 263: अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन

भाग 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद 264-300A)

अनुच्छेद 266: भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोकलेखे.
अनुच्छेद 267: आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद 280: वित्त आयोग
अनुच्छेद 300 क : विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना.

भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301-307)

अनुच्छेद 301: व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308-323)

अनुच्छेद 309: राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
अनुच्छेद 310: संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाए
अनुच्छेद 315: संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग

भाग 15 निर्वाचन (अनुच्छेद 324-329A)

अनुच्छेद 324: निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद 326: लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनो का वयस्क मताधिकर के आधार पर होना.
अनुच्छेद 329: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

भाग 16 कुछ वर्गों के सम्बन्ध मे विशेष उपबंध (अनुच्छेद 330-342)

अनुच्छेद 330: लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
अनुच्छेद 331: लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 332: राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद 338क: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुच्छेद 340: पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

भाग 17 राजभाषा (अनुच्छेद 343-351)

अनुच्छेद 343: संघ की परिभाषा
अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
अनुच्छेद 345: राज्य की राजभाषा
अनुच्छेद 350 क: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

भाग 18 आपात उपबन्ध (अनुच्छेद 352-360)

अनुच्छेद 352: आपात की उदघोषणा का प्रभाव

A EXAM GURU
ONE PLATFORM FOR ALL EXAMS

अनुच्छेद 356 : राज्यो में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद 360 : वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

भाग 20 संविधान के संशोधन (अनुच्छेद 368)

अनुच्छेद 368 : सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया

A EXAM GURU
ONE PLATFORM FOR ALL EXAMS